

प्रेम,

श्याम सुन्दर जग्गिहोत्री,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 मन्डय केन्द्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2000

विषय:- महर्षि विद्या मैट्रि उजीन्द को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबन्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह बताने का निदेश प्राप्त है कि महर्षि विद्या मैट्रि
उजीन्द को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने
में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पूंजीगत तोतापटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
के छात्रों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद
द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिये निर्धारित शुल्क से
अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार के शिक्षा अनुदान को माँग नहीं की जायेगी और
यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से
मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा
परिषद नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय
परिषदों की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद
द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त
ही जायेगा ।
- 5- संस्था शिक्षक एवं शिक्षाएतद कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम
वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनासकीय
उपयोग विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्ति की शर्तें उपलब्ध
कराये जायेगे ।

- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्थाओंका पालन करेंगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त शाओं में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना कब संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार का धुक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। इयास सुन्दर आग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव ।

पुणे-4214811/15-7तद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यस्थीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, जलौन्दा ।
- 4- अग्नि भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, महर्षि विद्या मंदिर, जलौन्दा ।

आशा है,

। इयास सुन्दर आग्निहोत्री ।
संयुक्त सचिव ।